प्रेस नोट

थाना बिनौली **दिनाँक 30.04.2025**

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 125/25 धारा 85/80/115(2) बीएनएस व 3/4 दहेज एक्ट से सम्बन्धित एक अभियुक्ता सहित 01 अन्य अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.04.2025 को थाना बिनौली पर वादी श्री सुभाष पुत्र सुख्खे निवासी ग्राम तितरौदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. अरविन्द, 2. ब्रिजू, 3. पिन्टू पुत्रगण महरु, 4. महरु 5. बर्फी पत्नी महरु निवासीगण ग्राम ग्वालीखेडा थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा उसकी पुत्री के साथ दहेज के लिये प्रताड़ित कर मारपीट की गयी व अतिरिक्त दहेज में 01 लाख रुपये नगद, 01 अपाचे मोटर साईकिल की मांग की गयी तथा दहेज की मांग पूर्ण न होने पर उसकी पुत्री को फांसी देकर मार दिया गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 125/25 धारा 85/80/115(2) बीएनएस व 3/4 दहेज एक्ट में पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही- बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 125/25 धारा 85/80/115(2) बीएनएस व 3/4 दहेज एक्ट से सम्बन्धित एक अभियुक्ता सहित एक अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-अरिवन्द पुत्र मेहर चन्द निवासी ग्राम ग्वालीखेडा थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-बर्फी पत्नी मेहर चन्द निवासी ग्राम ग्वालीखेडा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उनि0 श्री विपिन कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-म0उनि0 सुश्री शीलेष चौधरी थाना बिनौली जनपद बागपत ।

3-है0का0 440 राशिद थाना बिनौली जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली दिनाँक 30.04.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 127/25 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशांदेही पर आलाकत्ल एक क्रिकेट का बल्ला बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.04.2025 को थाना बिनौली पर वादी श्री सुनील कुमार पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम इटावा थाना बुढाना जनपद मुजफ्फर नगर ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त निखिल पुत्र विरेन्द्र उर्फ अरविन्द निवासी ग्राम मुकीमपुरा थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा उसके भाई अनिल के सिर पर जान से मारने की नियत से क्रिकेट के बल्ले से प्रहार किया गया किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 127/25 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 127/25 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित एक अभियुक्त

को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशांदेही पर आलाकत्ल एक क्रिकेट का बल्ला बरामद हुआ है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

निखिल पुत्र विरेन्द्र उर्फ अरविन्द निवासी ग्राम मुकीमपुरा थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- आलाकत्ल एक क्रिकेट का बल्ला।

गिरफ्तारी का स्थान-

- गल्हैता तिराहे पर भट्टे के पास थाना बिनौली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-श्री शिवदत्त प्रभारी निरीक्षक थाना बिनौली जनपद बागपत।
2-उ0नि0 रंजीत सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
3-है0का0 525 दीपक भाटी थाना बिनौली जनपद बागपत।
4-है0का0 440 राशिद थाना बिनौली जनपद बागपत।

उत्तर प्रदेश पुलिस

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा दिनाँक 30.04.2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 11/25 धारा 109/352/115(2)/117(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 12.01.2025 को थाना खेकडा पर वादी श्री सत्यवीर यादव पुत्र बाबूराम निवासी पट्टी अहिरान कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1-जय उर्फ मोंटू पुत्र प्रताप सिंह, 2-अंकुर उर्फ शेरा पहलवान पुत्र रूपचन्द, 3-अनुज पुत्र कंवर सिंह, 4-मोहित व पुत्र सतपाल उर्फ कल्लू, 5-संदेश यादव पुत्र ब्रह्म सिंह निवासीगण पट्टी अहीरान कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत द्वारा एक राय होकर लाठी-डन्डों व सरिया से जान से मारने की नीयत से उसके पुत्र अंकुश व उसके दोस्त प्रशान्त के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की, जिसमें अंकुश गम्भीर रूप से घायल हो गया व दो हजार रुपये लूट कर ले गये तथा वादी की पत्नी के साथ भी बत्तमीजी कर मारपीट की । इस सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 11/25 धारा 191(1)/191(3)/109/309(4)/ 352/115(2)/74/76 बीएनएस पंजीकृत

किया गया था व विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 191(1)/191(3)/309(4)/74/76 बीएनएस का लोप किया गया तथा धारा 117(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं 11/25 धारा 109/352/115(2)/117(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

मोहित पुत्र कालू उर्फ सतपाल निवासी पट्टी अहीरान कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त मोहित का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 1130/18 धारा 395/397/412/427 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 1379/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0 451/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकडा।

2-का0 535 अतुल कुमार थाना खेकडा।

3-का0 24 तरुण कुमार थाना खेकडा।

4-का0 554 रवि कुमार थाना खेकडा।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला दिनाँक 30.04.2025

थाना रमाला पर अभियोगों व एमवी एक्ट में दाखिल 21 मो0सा0 (कीमत 01 लाख 35 हजार रुपये) की नीलामी के सम्बन्ध में-

कार्यवाही-

दिनाँक 30.04.2025 को मा0 न्यायालय बागपत के आदेशानुसार थाना रमाला पर वर्ष 2023 के माल मुकदमाती एवं एम वी एक्ट में दाखिल वाहनों की नीलामी नायब तहसीलदार बडौत, क्षेत्राधिकारी बडौत व प्रभारी निरीक्षक थाना रमाला की उपस्थिति में की गई I उक्त नीलामी में जनपद बागपत व आस पास के जनपदों के कुल 15 कबाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें कुल-21 मो0सा0 कीमत 01 लाख 35 हजार रूपये की नीलामी की गयी।